**अनुबंध I**

## उदाहरण

## किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा के आकलन के लिए उदाहरण

### उदाहरण 1 – अल्पावधि फसल (1 फसल ऋतु = 12 महीने)

### (क) फसल की खेती के लिए कार्यशील पूंजी

I. पूर्वानुमान:

i) भूमि स्वामित्व: 2 एकड़

ii) फसल पद्धति

| क्र. सं. | फसल | ऋतु | फसली क्षेत्र (एकड़ में) |
|---|---|---|---|
| क. | धान | खरीफ | 2 |
| ख. | गेहूँ | रबी | 2 |
| | | | |

iii) राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा अधिसूचित वित्त का पैमाना (एसओएफ़)

(प्रति एकड़)

| फसल ऋतु | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| धान | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹17,000 | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹21,500 |
| गेहूँ | ₹20,000 | ₹21,000 | ₹22,000 | ₹24,000 | ₹27,000 | ₹29,000 |

iv) बीमा की लागत

| फसल ऋतु | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **वास्तविक लागत** | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹2,200 | ₹2,350 | ₹2,650 | ₹2,850 |

II. आहरण सीमा का आकलन:

| उगाई जाने वाली फसल | भूमि स्वामित्व (एकड़ में) | ऋतु | वित्त का पैमाना प्रति एकड़ | पात्र ऋण राशि |
|---|---|---|---|---|
| (क) | (ख) | (ग) | (घ) | (ङ) = (ख) X (घ) |
| धान | 2 | खरीफ | 15,000 | ₹30,000 |
| गेहूँ | 2 | रबी | 20,000 | ₹40,000 |
| | | | **कुल (क)** | **₹70,000** |

| | | |
|---|---|---|
| **ii** | **<u>जोड़ें:</u>** किसान परिवार की फसल कटाई के बाद और उपभोग संबंधी आवश्यकताओं के लिए (कुल सीमा का 10 प्रतिशत) | ₹7,000 |
| **iii** | **<u>जोड़ें:</u>** कृषि परिसंपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव के खर्चों, फसल की खेती में शामिल तकनीकी हस्तक्षेपों के खर्चों और जैविक/अच्छी कृषि पद्धतियों के प्रमाणीकरण के खर्चों के लिए (कुल सीमा का 20 प्रतिशत) | ₹14,000 |
| **iv** | **<u>जोड़ें:</u>**<br>यदि कोई बीमा है तो उसकी लागत। | ₹2,000 |
| | **कुल (ख)** | **₹23,000** |

III. अधिकतम अनुमत सीमा (दस्तावेज़ीकरण के उद्देश्य से)

| फसल ऋतु | गणना | ऋण सीमा |
|---|---|---|
| 1 | **फसल ऋण सीमा – पहली ऋतु [कुल (क) + (ख)]** | **₹93,000** |
| 2 | **<u>जोड़ें:</u>** पिछले सीजन की सीमा का 10% लागत वृद्धि के लिए। | ₹1,02,300 |
| 3 | **<u>जोड़ें:</u>** पिछले सीजन की सीमा का 10% लागत वृद्धि के लिए। | ₹1,12,530 |
| 4 | **<u>जोड़ें:</u>** पिछले सीजन की सीमा का 10% लागत वृद्धि के लिए। | ₹1,23,783 |
| 5 | **<u>जोड़ें:</u>** पिछले सीजन की सीमा का 10% लागत वृद्धि के लिए। | ₹1,36,161* |
| 6 | **<u>जोड़ें:</u>** पिछले सीजन की सीमा का 10% लागत वृद्धि के लिए। | ₹1,49,777* |

*राशि को पूर्णांकित किया गया

IV. आगामी ऋतु के लिए आहरण की सीमा

| फसल ऋतु | गणना | आहरण सीमा |
|---|---|---|
| 1 | **आहरण सीमा – पहली ऋतु [कुल (क) + (ख)]** | **₹93,000** |
| 2 | = 74,000 (2 एकड़ × 16,000 + 2 एकड़ × 21,000) + 10% + 20% + 2,100 (बीमा की लागत) | ₹98,300 |
| 3 | = 78,000 (2 एकड़ × 17,000 + 2 एकड़ × 22,000) + 10% + 20% + 2,200 (बीमा की लागत) | ₹1,03,600 |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | = 84,000 (2 एकड़ × 18,000 + 2 एकड़ × 24,000) + 10% + 20% + 2,350 (बीमा की लागत) | ₹1,11,550 |
| 5 | = 94,000 (2 एकड़ × 20,000 + 2 एकड़ × 27,000) + 10% + 20% + 2,650 (बीमा की लागत) | ₹1,24,850 |
| 6 | = 1,01,000 (2 एकड़ × 21,500 + 2 एकड़ × 29,000) + 10% + 20% + 2,850 (बीमा की लागत) | ₹1,34,150 |

**(ख) संबद्ध गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी**

I. पूर्वानुमान:

(i) प्रस्तावित गतिविधि: डेयरी

| पशुधन का स्वामित्व | इकाइयों की संख्या | प्रति इकाई वित्त का पैमाना |
|---|---|---|
| क | ख | ग |
| क्रॉस नस्ल की गाय | 1+1=2 | ₹7,000 |

- उपरोक्त मूल्यांकन एक उदाहरण है। संबद्ध गतिविधियों के लिए केसीसी सीमा का आकलन की जाने वाली गतिविधि के प्रकार के आधार पर अलग-अलग होगा। बैंकों को केसीसी सीमा निर्धारित करने के लिए राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित वित्त के पैमाने का संदर्भ लेना होगा।

(ii) राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा अधिसूचित वित्त का पैमाना

| **वर्ष** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **वित्त का पैमाना (एसओएफ़)** | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹8,600 | ₹9,500 | ₹10,200 |

(iii) बीमा की लागत

| **वर्ष** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **लागत** | ₹400 | ₹450 | ₹500 | ₹550 | ₹600 | ₹650 |

II. आहरण सीमा का आकलन

| पशुधन का स्वामित्व | इकाइयों की संख्या | प्रति इकाई वित्त का पैमाना | पात्र ऋण राशि |
|---|---|---|---|
| क | ख | ग | घ = खXग |
| क्रॉस नस्ल की गाय | 1+1=2 | ₹7,000 | ₹14,000 |
| | | **कुल (क)** | ₹14,000 |

| | | |
|---|---|---|
| **ii** | **<u>जोड़ें:</u>** किसान परिवार की उत्पादन के बाद और उपभोग संबंधी आवश्यकताओं* के लिए (कुल सीमा का 10 प्रतिशत) | ₹1,400 |
| **iii** | **<u>जोड़ें:</u>** संबंधित परिसंपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव के खर्चों के लिए, तकनीकी हस्तक्षेपों के खर्चों के लिए, जैसा कि जैविक या ऐसे अन्य प्रासंगिक प्रमाणन में लागू होता है, यदि कोई हो (कुल सीमा का 20 प्रतिशत)। | ₹2,800 |
| **iv** | **<u>जोड़ें:</u>** यदि कोई बीमा है तो उसकी लागत# | ₹400 |
| | **कुल (ख)** | **₹4,600** |

*यदि कोई उधारकर्ता कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों दोनों के लिए केसीसी ऋण लेता है, तो उपभोग संबंधी आवश्यकताएं केवल एक ही श्रेणी में पूरी होंगी, दोनों में नहीं।

#यदि कोई उधारकर्ता कृषि और संबद्ध गतिविधियों दोनों के लिए केसीसी ऋण लेता है, तो बीमा कवरेज के विभिन्न प्रारूपों को केवल एक बार ही गिना जाना चाहिए।

III. अधिकतम अनुमत सीमा (दस्तावेज़ीकरण के उद्देश्य से)

| वर्ष | गणना | सीमा |
|---|---|---|
| 1 | **पहले वर्ष के लिए ऋण सीमा** | ₹18,600 |
| 2 | **<u>जोड़ें:</u>** लागत वृद्धि के लिए पिछले वर्ष की सीमा का 10%। | ₹20,460 |
| 3 | **<u>जोड़ें:</u>** लागत वृद्धि के लिए पिछले वर्ष की सीमा का 10%। | ₹22,506 |
| 4 | **<u>जोड़ें:</u>** लागत वृद्धि के लिए पिछले वर्ष की सीमा का 10%। | ₹24,757* |
| 5 | **<u>जोड़ें:</u>** लागत वृद्धि के लिए पिछले वर्ष की सीमा का 10%। | ₹27,233* |
| 6 | **<u>जोड़ें:</u>** लागत वृद्धि के लिए पिछले वर्ष की सीमा का 10%। | ₹29,956* |

*राशि को पूर्णांकित किया गया

IV. आगामी ऋतु के लिए आहरण की सीमा

| **वर्ष** | **गणना** | **आहरण सीमा** |
|---|---|---|
| 1 | **आहरण सीमा – प्रथम ऋतु [(क) + (ख)]** | **₹18,600** |
| 2 | = ₹15,000 (एसएलटीसी द्वारा अधिसूचित एसओएफ़ × 2 इकाइयाँ शामिल हैं) + 10% + 20% + ₹450 (बीमा की लागत) | ₹19,950 |
| 3 | = ₹16,000 (एसएलटीसी द्वारा अधिसूचित एसओएफ़ × 2 इकाइयाँ शामिल हैं) + 10% + 20% + ₹500 (बीमा की लागत) | ₹21,300 |
| 4 | = ₹17,200 (एसएलटीसी द्वारा अधिसूचित एसओएफ़ × 2 इकाइयाँ शामिल हैं) + 10% + 20% + ₹550 (बीमा की लागत) | ₹22,910 |
| 5 | = ₹19,000 (एसएलटीसी द्वारा अधिसूचित एसओएफ़ × 2 इकाइयाँ शामिल हैं) + 10% + 20% + ₹600 (बीमा की लागत) | ₹25,300 |
| 6 | = ₹20,400 (एसएलटीसी द्वारा अधिसूचित एसओएफ़ × 2 इकाइयाँ शामिल हैं) + 10% + 20% + ₹650 (बीमा की लागत) | ₹27,170 |

**(ग) कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए निवेश ऋण**

I. पूर्वानुमान:

a. दूसरे वर्ष में पंप सेट का प्रतिस्थापन (प्रति इकाई लागत ₹50,000)

b. तीसरे वर्ष में 1+1 डेयरी यूनिट की स्थापना (प्रति पशु इकाई लागत ₹50,000)

II. संवितरण

| **वर्ष** | **विवरण** | **इकाइयों की सं.** | **प्रति इकाई लागत** | **कुल लागत** |
|---|---|---|---|---|
| दूसरा वर्ष | पम्प सेट का प्रतिस्थापन | 1 | ₹50,000 | ₹50,000 |
| तीसरा वर्ष | 1+1 डेयरी यूनिट की लागत | 1+1=2 | ₹50,000 | ₹1,00,000 |
| | **कुल सावधि ऋण घटक** | | | ₹1,50,000 |

**III.** अधिकतम अनुमत सीमा: ₹1,50,000

**(घ) छठे वर्ष के लिए समग्र अधिकतम अनुमत केसीसी सीमा** (दस्तावेज़ीकरण के उद्देश्य से)

| | | |
|---|---|---|
| **क** | फसल की खेती के लिए कार्यशील पूंजी [क (III)] | ₹1,49,777 |
| **ख** | फसल की खेती के लिए कार्यशील पूंजी [ख (III)] | ₹29,956 |
| **ग** | निवेश ऋण (सावधि ऋण) [ग (III)] | ₹1,50,000 |
| | **समग्र केसीसी सीमा** | **₹3,29,733** |

**उदाहरण 2 – दीर्घावधि फसल (1 फसल ऋतु = 18 महीने)**

**(क) फसल की खेती के लिए कार्यशील पूंजी**

I. पूर्वानुमान:

i) भूमि स्वामित्व: 2 एकड़

ii) फसल पद्धति

| क्र. सं. | फसल | फसली क्षेत्र (एकड़ में) | प्रति एकड़ वित्त का पैमाना |
|---|---|---|---|
| a | गन्ना | 2 | ₹50,000 |

i. राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा अधिसूचित एसओएफ

(प्रति एकड़)

| फसल ऋतु | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| गन्ना | ₹50,000 | ₹52,000 | ₹55,000 | ₹60,500 |

ii. बीमा की लागत

| फसल ऋतु | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| **वास्तविक कीमत** | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,500 |

II. आहरण सीमा का आकलन

| उगाई जाने वाली फसल | भूमि स्वामित्व (एकड़ में) | वित्त का पैमाना प्रति एकड़ | पात्र ऋण राशि |
|---|---|---|---|
| (क) | (ख) | (ग) | (घ) = (ख) X (ग) |
| गन्ना | 2 | ₹50,000 | ₹1,00,000 |
| | | **कुल (क)** | **₹1,00,000** |

| | | |
|---|---|---|
| **ii** | **जोड़ें:** किसान परिवार की फसल कटाई के बाद और उपभोग संबंधी आवश्यकताओं के लिए (कुल सीमा का 10 प्रतिशत) | ₹10,000 |

| | | |
|---|---|---|
| **iii** | **<u>जोड़ें:</u>** कृषि संपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव के खर्चों, फसल की खेती में शामिल तकनीकी हस्तक्षेपों के खर्चों और जैविक/अच्छी कृषि पद्धतियों के प्रमाणीकरण के खर्चों के लिए (कुल सीमा का 20 प्रतिशत) | ₹20,000 |
| **iv** | **<u>जोड़ें:</u>** यदि कोई बीमा है तो उसकी लागत। | ₹3,000 |
| | **कुल (ख)** | **₹33,000** |
| **आहरण सीमा – प्रथम फसल ऋतु [(क) + (ख)]** | | **₹1,33,000** |

III. अधिकतम अनुमत सीमा (दस्तावेज़ीकरण के उद्देश्य से)

| **फसल ऋतु** | **गणना** | **ऋण सीमा** |
|---|---|---|
| 1 | फसल ऋण सीमा – पहली फसल का मौसम [कुल (क) + (ख)] | ₹1,33,000 |
| 2 | **<u>जोड़ें:</u>** पिछली ऋतु की सीमा का 10% लागत वृद्धि के लिए। | ₹1,46,300 |
| 3 | **<u>जोड़ें:</u>** पिछली ऋतु की सीमा का 10% लागत वृद्धि के लिए। | ₹1,60,930 |
| 4 | **<u>जोड़ें:</u>** पिछली ऋतु की सीमा का 10% लागत वृद्धि के लिए। | ₹1,77,023 |

*राशि को पूर्णांकित किया गया

IV. आगामी ऋतु के लिए आहरण की सीमा

| **फसल ऋतु** | **गणना** | **आहरण सीमा** |
|---|---|---|
| 1. | आहरण सीमा – प्रथम फसल ऋतु [(क) + (ख)] | ₹1,33,000 |
| 2 | = ₹1,04,000 (2 एकड़ × ₹52,000) + 10% + 20% + ₹3,500 (बीमा की लागत) | ₹1,38,700 |
| 3 | = ₹1,10,000 (2 एकड़ × ₹55,000) + 10% + 20% + ₹4,000 (बीमा की लागत) | ₹1,47,000 |
| 4 | = ₹1,21,000 (2 एकड़ × ₹60,500) + 10% + 20% + ₹4,500 (बीमा की लागत) | ₹1,61,800 |

**(ख) सम्बद्ध गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी**

I. पूर्वानुमान:

(i) प्रस्तावित गतिविधि: मछली पालन (तालाबों में)

| परिसंपत्ति का स्वामित्व | इकाइयों की संख्या (एकड़) | वित्त का पैमाना प्रति एकड़ |
|---|---|---|
| क | ख | ग |
| तालाब (1 एकड़) | 1 एकड़ | ₹2,00,000 |

- उपरोक्त मूल्यांकन एक उदाहरण है। संबद्ध गतिविधियों के लिए केसीसी सीमा का आकलन की जाने वाली गतिविधि के प्रकार के आधार पर अलग-अलग होगा। बैंकों को केसीसी सीमा निर्धारित करने के लिए राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित वित्त के पैमाने का संदर्भ लेना होगा।

(ii) राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा प्रति इकाई अधिसूचित वित्त का पैमाना, जिसमें बीज, चारा, श्रम और रखरखाव आदि जैसे आवर्ती व्यय शामिल हैं।

| वर्ष | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **एसओएफ़** | ₹2,00,000 | ₹2,08,000 | ₹2,20,000 | ₹2,35,000 | ₹2,50,000 | ₹2,60,000 |

(iii) बीमा की लागत

| वर्ष | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **लागत** | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹5,600 | ₹6,100 | ₹6,600 |

II. आहरण सीमा का आकलन

| परिसंपत्ति का स्वामित्व | इकाइयों की संख्या | वित्त का पैमाना प्रति इकाई (एकड़) | पात्र ऋण राशि |
|---|---|---|---|
| क | ख | ग | घ = ख X ग |
| तालाब | 1 एकड़ | ₹2,00,000 | ₹2,00,000 |
| | | **कुल (क)** | ₹2,00,000 |

| | | |
|---|---|---|
| **ii** | **<u>जोड़ें:</u>** किसान परिवार की उत्पादन के बाद और उपभोग संबंधी आवश्यकताओं* के लिए (कुल सीमा का 10 प्रतिशत) | ₹20,000 |
| **iii** | **<u>जोड़ें:</u>** संबंधित परिसंपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव के खर्चों, तकनीकी हस्तक्षेपों के खर्चों (लागू होने पर) और जैविक या ऐसे अन्य प्रासंगिक प्रमाणन, यदि कोई हो, के लिए (कुल सीमा का 20 प्रतिशत) | ₹40,000 |
| **iv** | **<u>जोड़ें:</u>** यदि कोई बीमा है तो उसकी लागत# | ₹4,500 |
| | **कुल (ख)** | **₹64,500** |

*यदि कोई उधारकर्ता कृषि और संबद्ध गतिविधियों दोनों के लिए केसीसी ऋण लेता है, तो उपभोग संबंधी आवश्यकताएं केवल किसी एक श्रेणी में ही पूरी होंगी, दोनों में नहीं।

#यदि कोई उधारकर्ता कृषि और संबद्ध गतिविधियों दोनों के लिए केसीसी ऋण लेता है, तो बीमा कवरेज के विभिन्न रूपों को केवल एक बार ही गिना जाएगा।

III. अधिकतम अनुमत सीमा (दस्तावेज़ीकरण के उद्देश्य से)

| **वर्ष** | **गणना** | **सीमा** |
|---|---|---|
| 1 | **पहले वर्ष के लिए ऋण सीमा** | ₹2,64,500 |
| 2 | **<u>जोड़ें:</u>** लागत वृद्धि के लिए पिछले वर्ष की सीमा का 10%। | ₹2,90,950 |
| 3 | **<u>जोड़ें:</u>** लागत वृद्धि के लिए पिछले वर्ष की सीमा का 10%। | ₹3,20,045 |
| 4 | **<u>जोड़ें:</u>** लागत वृद्धि के लिए पिछले वर्ष की सीमा का 10%। | ₹3,52,050* |
| 5 | **<u>जोड़ें:</u>** लागत वृद्धि के लिए पिछले वर्ष की सीमा का 10%। | ₹3,87,255 |
| 6 | **<u>जोड़ें:</u>** लागत वृद्धि के लिए पिछले वर्ष की सीमा का 10%। | ₹4,25,981* |

*राशि को पूर्णांकित किया गया

IV. आगामी ऋतुओं के लिए आहरण की सीमा

| **वर्ष** | **गणना** | **आहरण सीमा** |
|---|---|---|
| 1 | **आहरण सीमा – प्रथम ऋतु [(क) + (ख)]** | **₹2,64,500** |
| 2 | = ₹2,08,000 (एसएलटीसी द्वारा अधिसूचित एसओएफ़ × 1 इकाई शामिल) + 10% + 20% + ₹4,800 (बीमा की लागत) | ₹2,75,200 |
| 3 | = ₹2,20,000 (एसएलटीसी द्वारा अधिसूचित एसओएफ़ × 1 इकाई शामिल) + 10% + 20% + ₹5,200 (बीमा की लागत) | ₹2,91,200 |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | = ₹2,35,000 (एसएलटीसी द्वारा अधिसूचित एसओएफ़ × 1 इकाई शामिल) + 10% + 20% + ₹5,600 (बीमा की लागत) | ₹3,11,100 |
| 5 | = ₹2,50,000 (एसएलटीसी द्वारा अधिसूचित एसओएफ़ × 1 इकाई शामिल) + 10% + 20% + ₹6,100 (बीमा की लागत) | ₹3,31,100 |
| 6 | = ₹2,60,000 (एसएलटीसी द्वारा अधिसूचित एसओएफ़ × 1 इकाई शामिल) + 10% + 20% + ₹6,600 (बीमा की लागत) | ₹3,44,600 |

**(ग) कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए निवेश ऋण**

I. पूर्वानुमान:

क) दूसरे वर्ष में हार्वेस्टर (फसल काटने की मशीन) की खरीद (लागत ₹1,50,000)

b) तीसरे वर्ष में तालाब का जीर्णोद्धार (लागत ₹50,000)

II. संवितरण

| वर्ष | विवरण | कुल लागत |
|---|---|---|
| दूसरा वर्ष | हार्वेस्टर की खरीद | ₹1,50,000 |
| तीसरा वर्ष | तालाब का जीर्णोद्धार | ₹50,000 |
| | कुल सावधि ऋण घटक | ₹2,00,000 |

**III.** अधिकतम अनुमत सीमा: ₹2,00,000

**(घ) छठे वर्ष के लिए समग्र अधिकतम अनुमत केसीसी सीमा (दस्तावेज़ीकरण के उद्देश्य से)**

| | | |
|---|---|---|
| **क** | फसल की खेती के लिए कार्यशील पूंजी [क (III)] | ₹1,77,023 |
| **ख** | फसल की खेती के लिए कार्यशील पूंजी [ख (III)] | ₹4,25,981 |
| **ग** | निवेश ऋण (सावधि ऋण) [ग (III)] | ₹2,00,000 |
| | समग्र केसीसी सीमा | **₹8,03,004** |